संचिका संख्या : 1424/18

दिनांक : .07.06.2022/10.06.2022

आवेदक जो अपने आप को पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि समस्तीपुर सह अध्यक्ष जदयू कहते हैं के द्वारा यह कहते हुए कि दिनांक 24.01.2018 को मो0 शहजाद उम्र 16 वर्ष घर के बगल में दूध और मिठाई लाने गया था उसी क्रम में उसे पुलिस द्वारा झुठे केस (नगर काण्ड स0 20/18) में पकड़कर नगर थाना लाया गया जहाँ थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जिससे उसका हाथ भी टुट गया और शरीर पर कई गंभीर जख्म आई।यह भी कहा गया कि वहां के स्थानीय जाकिर हुसैन एवं मो. शहजाद के द्वारा थाना अध्यक्ष से मिलकर बालक के नाबालिग होने तथा आपराधिक छवि नहीं होने की बात बतायी गयी परन्तु उसे पीटा जाता रहा है और नगर थाना कांड संख्या 20/18 पुलिस कर्मी से दर्ज कराकर 25.01.18 को नाबालिग को हथकड़ी लगाकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया, जहाँ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा फटकार लगाने, ईलाज कराने और मो0 शहजाद को किशोर न्यायालय के समक्ष भेजने का आदेश दिये जाने पर ईलाज चल रहा है। आवेदक ने इसके अलावा नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष चर्तेवेदी सुधीर कुमार पर कई अन्य आरोप भी लगाते हुए उन पर कार्रवाई के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया है।

उपरोक्त आवेदन पर पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, समस्तीपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वादी पु0अ0नि0 दिगम्बर कुमार, उम्र 33 वर्ष के स्वलिखित आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 20/18 मो0 शहजाद तथा अन्य के विरुद्ध नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज, हल्ला गुल्ला करने, लोक शांति भंग करते हुए अवैध रूप से आग्नेयास्त्र से गोलीबारी करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है जिसमें अनुसंधानोपरांत मो0 शहजाद के संलिप्तता की बात बतलाई गई है। विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। कांड के विधि विरुद्ध किशोर मो0 शहजाद को बाल सुधार गृह दरभंगा भेजा गया । मो0 शहजाद के निर्दोष होने की पुष्टि अनुसंधान के क्रम में नहीं हो सकी।

पुनः उपरोक्त आशय का ही एक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा पुलिस अ0नि0 के प्रतिवेदन संलग्न करते हुए समर्पित किया गया है। (पृ018 से 20/ प0) ।

उपरोक्त प्रतिवेदनों पर आवेदक के द्वारा एक प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है जिसके द्वारा पुनः तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष चर्तुवेदी सुधीर कुमार के विरुद्ध आरोप लगाते हुए पूर्व के आरोपों को पुनः दोहराया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि माननीय प्रधान न्यायाधीश किशोर न्यायालय के द्वारा नाबालिग मो. शहजाद के स्थिति को देखते हुए ईलाज करवाने का निर्देश दिया गया लेकिन थानाध्यक्ष ने इसका अनुपालन नहीं किया और उसे दरभंगा भेज दिया। यह भी कहा गया है कि माननीय प्रधान दण्डाधिकारी के द्वारा किशोर मो. शहजाद के साथ मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में अनुसंधानकर्त्ता को कारण पृच्छा नोटिस भी जारी किया गया था। यह भी कहा गया कि किशोर के तबीयत खराब हो गई तो उसे दिनांक 27.01.2018 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्रैकचर और वदन में चोट का निशाना पाया गया है। आवेदक के द्वारा यह भी दावा किया गया है कि नाबालिग मो. शहजाद एक अच्छा विद्यार्थी है उसके विरुद्ध पूर्व में कोई भी शिकायत नहीं है। विधवा माँ है। CBSE में 80 प्रतिशत अंक लाता है। परन्तु उसे तत्कालीन थाना अध्यक्ष चर्तुवेदी सुधीर कुमार के द्वारा मुकदमा में फंसा दिया गया।

उपरोक्त प्रतिवेदन पर पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर का प्रतिवेदन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के प्रतिवेदन के साथ पुनः उपलब्ध कराया गया है। (पृष्ठ 37–38/ प0) जिसमें पूर्व के प्रतिवेदनों के अलावा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वादी पु0अ0नि0 दिगम्बर कुमार , घटना के दिन दिनांक 24.01.2018 को करीब 11:00 बजे दिन में नगर थाना के सशस्त्र बल एवं वाहन के साथ विधि–व्यवस्था ड्युटी में प्रस्थान किये थे। करीब 13:00 बजे उन्हें सूचना मिली की आजाद चौक के पास 20–25 की संख्या में युवक किसी से मारपीट करने जा रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। सूचना पर आजाद चौक पहुंचने पर पुलिस को आता देख सभी लोग रेलवे ट्रैक के ओर भागने लगे। उनमें से एक युवक को खदेड़ कर पकड़ा गया। भागने के क्रम में उक्त युवक गिर कर चोटिल हो गया। आस–पास के लोग भी इकट्ठा हो गये। उस युवक ने अपना नाम मो. शहजाद उम्र 19 वर्ष बताया तथा भागने वाले अन्य साथियों का नाम भी बताया। यह भी दावा किया गया है घटना के समय मो. शहजाद द्वारा भी अपना उम्र 19 वर्ष बताया गया था। अतः उसे बालिग मानते हुए गिरफ्तारी एवं अन्य कार्रवाई की गई। बाद में मो. शहजाद के परिजनों द्वारा माननीय

न्यायालय में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर उसे विधि विरुद्ध बालक मानते हुए उसे बाल सुधार गृह दरभंगा भेजा गया। पुलिस ने अपने प्रतिवेदन में नगर थाना काण्ड स0 20/18 के अनुसंधान एवम् पर्यवेक्षण के उपरांत मो0 शहजाद की संलिप्तता काण्ड में पाने की बात कही है।

आवेदक के द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित कागजात राज्य आयोग के समक्ष अवलोकनार्थ थानाध्यक्ष नगर थाना समस्तीपुर के द्वारा माननीय प्रधान न्यायिक दण्डाधिकारी किशोर न्यायालय को, उनके द्वारा पूछे गये कारण पृच्छा का जबाव तथा किशोर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.2015 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए संचिका को अपर पुलिस महानिदेशक एवं निबंधक राज्य आयोग की संयुक्त समिति बनाते हुए उनके समक्ष विस्तृत जांच हेतु भेजा गया था। जो प्राप्त है। (पृष्ठ 208—211/प0)। संचिका में नगर थाना काण्ड संख्या—20/18 की काण्ड दैनिकी की प्रति भी उपलब्ध है।

संयुक्त जांच समिति ने कांड दैनिकी के अवलोकन कर अपने निष्कर्ष में निम्नलिखित बातें कही हैः— ''वाद संचिका में उपलब्ध अभिलेख की समीक्षा एवं प्रकाश में आये उपरोक्त तथ्यों से परिवादी द्वारा मो0 शहजाद के साथ थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट कर जख्मी कर देने तथा हाथ तोड़ दिये जाने की पुष्टि नहीं हुई है। मो0 शहजाद को पुलिस द्वारा खदेड़ने के क्रम में गिर जाने के कारण चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी के उपरांत मो0 शहजाद के चिकित्सकीय जॉच प्रतिवेदन में भी **No bone injury** पाया गया है।

परिवादी द्वारा नाबालिग बालक मो0 शहजाद को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर जेल भेजे जाने संबंध में लगाये गये आरोपों के संबंध में समीक्षा से पाया गया कि नाबालिग किशोर मो0 शहजाद के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपना उम्र 19 वर्ष बताया गया था, पुलिस द्वारा चिकित्सीय जांच हेतु निर्गत प्रतिवेदन में उक्त किशोर उम्र अंकित नहीं किया गया था तथा चिकित्सक द्वारा उक्त बालक का उम्र 19 वर्ष अंकित कर जख्म प्रतिवेदन निर्गत किया गया। साथ ही माननीय न्यायालय में उक्त बालक के उपस्थापन के दौरान परिजनों द्वारा उम्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त बालक को बाल सुधार गृह भेजा गया। उक्त बालक एक भी दिन काराधीन नहीं रहे। प्रतीत होता है गिरफ्तारी के उपरांत उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग किशोर मो0 शहजाद को

बालिग मानते हुये माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया गया, जहॉ से उसे माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में बाल सुधार गृह भेजा गया।

अतएव समीक्षोपरान्त इस वाद में परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार वाद को संचिकास्त करने की अनुशंसा की जाती है।''

राज्य आयोग द्वारा जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन कर यह पाया गया कि जांच समिति ने आवेदक को सुनने या अपना साक्ष्य को रखने का अवसर दिये बिना अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अतः संचिका पुनः संयुक्त जॉच समिति को वापस करते हुए आवेदक को आरोप के संबंध में अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का मौका देते हुए तथा माननीय प्रधान न्यायिक दण्डाधिकारी किशोर न्यायालय के आदेश फलकों के प्रति मंगाकर पूरक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। संयुक्त जांच समिति का पूरक प्रतिवेदन (पृष्ठ 227—228/ प0) भी प्राप्त है।

संयुक्त जांच समिति ने अपने पूरक जांच प्रतिवेदन में यह कहा है कि उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से पाया गया कि परिवाद पत्र में नाबालिग बालक मो0 शहजाद को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये विडियों फुटेज में भी पुलिस द्वारा उक्त नाबालिग बालक माननीय न्यायालय में उपस्थापन के क्रम में हथकड़ी लगे अवस्था में दिख रहा है। इस संबंध में पूर्व में समीक्षा के क्रम में तत्कालीन थानाध्यक्ष, नगर, पु0नि0 चर्तुवेदी सुधीर कुमार, अनुसंधानकर्त्ता,पु0अ0नि0 विजय प्रकाश एवं पु0अ0नि0 दिगम्बर कुमार द्वारा दिये गये बयान, पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार मो.शहजाद द्वारा स्वीकारोक्ति बयान के क्रम में अपना उम्र 19 वर्ष बताये जाने एवं चिकित्सक द्वारा उक्त बालक का उम्र 19 वर्ष अंकित कर जख्म जॉच प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के आधार पर उक्त किशोर को बालिग मानते हुए कार्रवाई किये जाने की बात बताई गई है। माननीय न्यायालय में उक्त बालक के उपस्थापन के दौरान परिजनों द्वारा उम्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त बालक को बाल सुधार गृह भेजा गया।''

परिवाद पत्र एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में मो0 शहजाद के गिरफ्तार कर थाना लाने एवम् कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह बताने के बावजूद कि बालक नाबालिग है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। थानाध्यक्ष एवं पुलिस कर्मी के द्वारा मारपीट कर जख्मी किया गया जिस से उसका हाथ टूट गया और शरीर पर गंभीर चोट आई। यह भी

उल्लेख किया गया है कि विधि विरुद्ध बालक के बाल सुधार गृह में स्थिति खराब होने के उपरांत डी.एम.सी.एच. दरभंगा में ईलाज कराया गया।

परन्तु परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात तथा डी.एम.सी.एच. दरभंगा के ओ.पी.डी. स्लिप में किशोर मो0 शहजाद के हड्डी टूटने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया (पृष्ठ 165–163/प0) परिवादी के द्वारा बाद में डी.एम.सी.एच. के एक्स रिपोर्ट एवं एक्स प्लेट भी प्रस्तुत किया गया। परन्तु उसमें भी कोई **Bone Injury** के संबंध में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः परिवादी का भी कहना है कि मारपीट में किशोर बालक मो0 शहजाद का हाथ टूट गया कागजातों से स्पष्ट नहीं होता है।

दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा मो0 शहजाद के भागने में धड़–पकड़ में गिर जाने के क्रम में हल्का चोट लगने की बात कही गई है। यह भी संचिका में उपलब्ध तथ्यों से प्रतीत होता है कि मो0 शहजाद के तबीयत खराब हो जाने के कारण डी.एम.सी.एच. दिनांक 27.01.18 को भर्ती कराया गया था। जिसके संबंध में डी.एम.सी.एच. के पूर्जे एवं अन्य कागजात प्रस्तुत किये गये है। जिस से यह स्पष्ट होता है कि विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद के शरीर पर चोट के निशान था और वे चोट के कारण ईलाज हेतु डी.एम.सी.एच. में भर्ती होना पड़ा। अतः उसे विधि विरुद्ध बालक के चोट को साधारण चोट कहना सही नहीं प्रतीत होता है।

पुलिस प्रतिवेदनों में यह भी दावा किया गया है कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदक के परिवार वालों के द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर यह पाया गया कि वह विधि विरुद्ध बालक है परन्तु विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी समस्तीपुर, के आदेश फलक जो संचिका में उपलब्ध है से पुलिस के दावे के संबंध में आदेश फलक में कुछ भी अंकित नहीं है। पुलिस प्रतिवेदनों में यह कहा गया कि मो0 शहजाद ने अपनी उम्र 19 वर्ष बताया। उसके स्वीकारोक्ति बयान में भी उसकी उम्र 19 वर्ष बताया गया और डॉक्टर जिसने मो0 शहजाद का ईलाज किया उन्होंने भी अपने पूर्जे में मो0 शहजाद का उम्र 19 वर्ष अंकित किया है। इस संबंध में कागजातों के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर जिन्होंने प्रारंभिक ईलाज किया है उन्होंने अपने पूर्जे में किस आधार पर मो0 शहजाद के उम्र 19 वर्ष लिखा है, यथा उम्र निर्धारण का क्या आधार है, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

साथ ही पुलिस प्रतिवेदनों में यह दावा किया जा रहा है कि आवेदक ने अपने उम्र 19 वर्ष बताया और स्वीकारोक्ति में भी उसने अपना उम्र 19 वर्ष लिख है परन्तु कांड दैनिकी, एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद के गिरफ्तारी के समय कई व्यक्ति वहां उपस्थित थे। आवेदक के द्वारा भी दावा किया गया था कि जाखिर हुसैन एवं मो0 शहजाद के द्वारा थानाध्यक्ष को बताया गया कि वह नाबालिग है परन्तु अनुसंधान के क्रम में एक भी स्वतंत्र गवाह का बयान नहीं अंकित किया गया है। सारे गवाह पुलिस कर्मी है, जिस से पुलिस के उपरोक्त दावों पर संदेह से परे नहीं कहा जा सकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विधि विरुद्ध बालाकों के मामले के संबंध में **Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 (Act 2 of 2016)** आगे सुविधा हेतु उसे **Juvenile Justice Act 2015** सम्बोधित किया जा रहा है)। हमारे विधि निर्माताओं के द्वारा पारित किया गया है। जिसका उद्देश्य विधि विरुद्ध बालाकों को दबंग कैदियों से अलग रखना और साथ ही ऐसे विधि विरुद्ध बालका के सुधार का एक मौका देना है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। इसके लिए उन्हें उद्ण्ड एवं दबंग कैदियों से अलग रखना है। जिस से कि वे उनके सम्पर्क में आकर गलत आदत न पकड़ सके। उसे जेल की जगह अलग रखने की व्यवस्था और **Trial** के लिए अलग व्यवस्था रखना है। जिस से कि वैसे विधि विरुद्ध बालक को समाज के मुख्य धारा में पुनः वापस लाये जा सके।

Juvenile Justice Act 2015 में बालकों के गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है।

Section 10 :- Apprehension of Juvenile in conflict with law. :- As soon as a Juvenile in conflict with law is apprehended by police, he shall be placed under the charge of the special juvenile police unit or the designated police officer, who shall produce the juvenile before the Board without any loss of time but within a period of twenty-four hours of his apprehension excluding the time necessary for the journey, from the place where the juvenile was apprehended, to the Board:

Provided that in no case, a juvenile in conflict with law shall be placed in a police lockup or lodged in a Jail.

The Government may make rules consistent with this Act,-

1- To provide for persons through whom (including registered voluntary organizations) any juvenile in conflict with law may be produced before the Board;

ii- To provide the manner in which such juvenile may be sent to an observation home.

Section11 :- Control of custodian over juvenile:- Any person in whose charge a juvenile is placed in pursuance of this Act shall, while the order is in forc have the control over the juvenile as he would have if he were his parents, and shall be responsible for his maintenance, and the juvenile shall continue in his charge for the period stated by competent authority, notwithstanding that he is claimed by his parents or any other person.

उपरोक्त धाराओं के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विधि विरुद्ध बालक को पकड़े जाने के उपरान्त उसे **Special Juvenile Police Unit** एवम् **Diginated Police officer** के **control** में रखा जाना है जो 24 घण्टा के अंदर उसे किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष उपस्थित करायेंगे। उपरोक्त धारा 10 के परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि किसी भी स्थिति में विधि विरुद्ध बालक को पुलिस हिरासत में या जेल में नहीं रखा जाना है।

परन्तु संचिका में उपलब्ध कागजातों एवम् पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 25.01.18 को उन्होंने मो0 शहजाद विधि विरुद्ध बालक को नाबालिग पाने के पश्चात तथा उसे किशोर न्यायालय में दिनांक 26.01.18 को प्रस्तुत करने के बीच की अवधि में उसे **Special Juvenile Police Unit** एवम् **Diginated Police Officer** के **control** में रखा गया था। इस संबंध में थाना दैनिकी की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके विपरीत यह प्रतीत होता है कि विधि विरुद्ध बालक को नगर थाना में हाजत में रखा गया था और दिनांक 26.01.18 को किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो **Juvenile Justice Act 2015** के उपरोक्त प्रावधानों के विरुद्ध है।

यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी कागजात संचिका में उपलब्ध नहीं है, न ही अनुसंधानक या पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिस से पता चलता हो कि विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद के अभिभावक से उसे न्यायालय में भेजने के पूर्व उम्र संबंधी कागजात की मांग की गई है।

संचिका में उपलब्ध कागजातों से यह भी प्रतीत होता है कि मो0 शहजाद को दिनांक 25.01.2018 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष हथकड़ी में प्रस्तुत किया गया। इस बात से पुलिस प्रतिवेदनों में भी इंकार नहीं किया गया है।

इस संबंध में यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्याय निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ''**Prem Shankar shukla vs Delhi Administration 1980 SCC 526, Sunil Batra vs Delhi Administration AIR 1978 SCC 1675** के मामले में बंदियों को हथकड़ी में न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था परन्तु उसका पालन नहीं होने के कारण पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Citizens for Democracy vs State pf Assam and Others 1995 SCC 744 ,** पुनः विचार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है।

''1. **We declare, direct and lay down as a rule that handcuffs or other fetters shall not be forced on a prisoner- convicted or under-trial- while lodged in a jail anywhere in the country or while transporting or in transit from one jail to another or from jail to court and back. The police and the jail authorities, on their own, shall have no authority to direct the hand-cuffing of any inmate of a jail in the country or during transport from one jail to another or from jail to court and back."**

"2. Where the police or the jail authorities have well-grounded basis for drawing a strong inference that a particular prisoner is likely to jump jail or break out of the custody then the said prisoner be produced before the Magistrate concerned and a prayer for permission to handcuff the prisoner be made before the said Magistrate. Save in rare cases of concrete proof regarding proneness of the prisoner to violence, 'his tendency to escape, he being so dangerous/ desperate and the finding that no other practical way of forbidding escape is available, the Magistrate may grant permission to handcuff the prisoner."

"3. In all cases where a person arrested by police, is produced before the Magistrate and remand-judicial or non-judicial- is given by the Magistrate the person concerned shall not be handcuffed unless special

orders in that respect are obtained from the Magistrate at the time of the grant of the remand."

"4. When the police arrests a person in execution of a warrant of arrest obtained from a Magistrate, the person so arrested shall not be handcuffed unless the police has also obtained from the Magistrate for the handcuffing of the person to be so arrested."

"5. Where a person is arrested by the police without warrant the police officer concerned may if he is satisfied, on the basis of the guide-lines given by us in para above, that it is necessary to handcuff such a person, he may do so till the time he is taken to the police station and thereafter his production before the Magistrate. Further use of fetters thereafter can only be under the orders of the Magistrate as already indicated by us."

"6. We direct all ranks of police and the prison authorities to meticulously obey the above mentioned directions. Any violation of any of the directions issued by us by any rank of police in the country or member of the jail establishment shall be summarily punishable under the Contempt of Courts Act apart from other penal consequences under law.

The writ petition is allowed in the abover terms.

Copy of this judgment be sent to Government of India, Ministry of Home Affairs and to all the State and Union Territory Governemnts through Home."

प्रस्तुत संचिका में विधि विरुद्ध बालक मो. शहजाद के विरुद्ध न तो गोली चलाने का आरोप है न ही कोई पिस्टल या और कोई आर्म्स उसे पास से बरामद हुआ है। कांड संख्या 20/18 में धारा 143/144 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है और मो. शहजाद का कोई आपराधीक इतिहास उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः मो0 शहजाद को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष हथकड़ी में प्रस्तुत किये जाने के बिन्दु पर पुलिस प्रतिवेदनों में कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत राज्य आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद के मामले में न तो **Juvenile Justice Act 2015** धारा 10 एवं 11 के प्रावधान को पुलिस द्वारा पालन किया गया है और न ही उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन किया गया है और उसे न्यायालय में हथकड़ी लगाकर प्रस्तुत किया गया और पुलिस हाजत में रखा गया था। पूर्व में भी राज्य आयोग के द्वारा ऐसे

मामले में संज्ञान में आने पर आरक्षी महानिदेशक को पुलिस पदाधिकारियों को **Juvenile Justice Act 2015** के प्रावधान को विशेषतः धारा 10 और 11 के प्रावधान और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश को पुलिस सुनिश्चित कराने हेतु उन्हें **Sensitize and Training** देने की अनुशंसा की गई थी। परन्तु यह प्रतीत होता है कि इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण एक विधि विरुद्ध बालक का जिसके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप भी नहीं था हथकड़ी में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा किशोर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश के बाद उसे पुनः पुलिस हाजत में रखते हुए दूसरे दिन किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो स्पष्टः **Juvenile Justice Act 2015** के प्रावधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अवहेलना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संचिका में उपलब्ध किशोर न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2018 के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध गोली चलाने का आरोप नहीं होने और घटना में किसी के जख्मी नहीं होने और साथ ही पुलिस द्वारा कांड में विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित नहीं किये जाने को ध्यान में रखते हुए विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद के विरुद्ध संचिका दिनांक 25.05.18 के आदेश के द्वारा बंद कर दिया गया(पृष्ठ 41—42/प0)।

यह प्रतीत होता है कि संयुक्त जांच समिति के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते समय, **Juvenile Justice Act 2015** के उपरोक्त प्रावधानों तथा उच्चतम न्यायालय के उपर दिये गये निर्देशों को ध्यान में नहीं गया। राज्य आयोग आदर के साथ जॉच समिति से भिन्न मंतव्य रखती है।

अनुसंधनाक तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा **Juvenile Justice Act 2015**के प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश की अवहेलना के फलस्वरूप फलस्वरूप विधि विरुद्ध बालक को मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना के साथ—साथ उसके तथा उसके परिवार के मान—सम्मान को ठेस पहुंची तथा साथ ही विधि विरुद्ध बालक के भविष्य भी धुमिल हुई है जिसके लिए स्पष्टः पुलिस पदाधिकारी जिम्मेवार है। अतः विधि विरुद्ध बालक को मो0 शहजाद क्षतिपूर्ति के हकदार है।

उपरोक्त स्थिति में निबंधक राज्य आयोग को बिहार सरकार के विरुद्ध मुख्य सचिव के माध्यम से कारण पृच्छा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि क्यों नहीं पुलिस

के उपरोक्त लापरवाही, गैर कानूनी एवं गैर जिम्मेदराना व्यवहार के लिए जिसके कारण विधि विरुद्ध बालक मो0 शहजाद मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना के साथ—साथ मानहानि एवं भविष्य प्रभावित होने के लिए उसे 50 हजार रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाय।

कारण पृच्छा, आदेश की प्रति के 8 सप्ताह के भीतर समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

साथ ही आरक्षी महानिदेशक से बिहार **Juvenile Justice Act 2015(Act 2 of 2016)** खास कर विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार एवं उन्हें कस्टडी में रखने के सम्बन्ध में धारा 10 एवं 11 के प्रावधान एवं उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश जो हथकड़ी लगाकर बंदियों को प्रस्तुत करने के संबंध में,भी पुलिस पदाधिकारियों को **Sensitize and Training** देने की अनुशंसा किया जाता है।

दिनांक 23/08/2022 कारण पृच्छा एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson